

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 874] No. 874] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड)

अधिसचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017

सं. 50/2017—केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1326(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक अगस्त, 2017 और सितंबर, 2017 मास के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करती है।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)] डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2017

No. 50/2017-Central Tax

G.S.R. 1326(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of August and September, 2017 by the due date.

[F. No. 349/74/2017-GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

6374 GI/2017